बिहार राज्य

बनाम

एम. होमी और एक अन्य

[विवियन बोस, जगन्नाधदास और सिन्हा, न्यायमूर्तिगण]

जमानत बंधपत्र — दांडिक प्रकृति के उपबंध — क्या उनका निर्वचन कठोरता से किया जाना चाहिए।

एक जमानत बंधपत्र में जमानतदारों ने अपने आप को रु. 50,000 के भुगतान हेतु इस शर्त पर आबद्ध किया कि "केवल उस दशा में जब श्री अली खान... न्यायिक समिति के आदेश या निर्णय की सूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर सिंहभूम के उपायुक्त के समक्ष आत्मसमर्पण करने में विफल रहें, यदि उक्त आदेश या निर्णय द्वारा दंड को अंशतः अथवा पूर्णतः बनाए रखा जाता है।" संवैधानिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय को अंतरित हो गया और अंततः अली खान की प्रिवी काउंसिल में अपील संघीय न्यायालय द्वारा सुनी एवं खारिज कर दी गई। तत्पश्चात उपायुक्त ने जमानतदारों को तीन दिनों के भीतर अली खान को प्रस्तुत करने की सूचना जारी की।

अभिनिर्धारित किया गया कि जमानतदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण थी, क्योंकि उपर्युक्त बंधपत्र की शर्तों के दृष्टिगत अधिरोपित शर्त के अनुसार कोई शास्ति उद्भूत नहीं हुई थी।

जमानत बंधपत्र के ऐसे उपबंध जो दांडिक प्रकृति के हों, उनका अत्यंत कठोरता से निर्वचन किया जाना चाहिए और इस विधिक कल्पना के अनुप्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है कि

संघीय न्यायालय का निर्णय उस निर्णय या आदेश के समतुल्य माना जाए जिसकी परिकल्पना जमानत बंधपत्र के पक्षकारों द्वारा की गई थी।

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: दांडिक अपील सं. 62 / 1953

संविधान के अनुच्छेद 134(1)(सी) के अधीन दिनांक 27 मार्च 1953 के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील, जो 1951 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 1290 में पारित हुई थी और जो दिनांक 12 नवंबर 1951 के सिंहभूम के सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के 1951 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 16 में पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत थी।

महाबीर प्रसाद, *बिहार राज्य के महाधिवक्ता* (उनके साथ *श्याम नंदन प्रसाद* और *एम.एम. सिन्हा*), अपीलकर्ता की ओर से।

एस.एन. मुखर्जी, उत्तरदाता की ओर से।

1955, मार्च 24 न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार सुनाया गया —

सिन्हा न्या. — इस अपील में हमने यह आवश्यक नहीं समझा कि जमानत बंधपत्र की शर्तों के संबंध में, जिसे जमानतदारों अर्थात् इस न्यायालय में उत्तरदाताओं के विरुद्ध प्रवर्तित कराने का प्रयास किया जा रहा था, हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है — जो अभी प्रकट होगा — उसके आलोक में अपील के गुण-दोष पर उत्तरदाताओं के अधिवक्ता को सुना जाए। विचाराधीन जमानत बंधपत्र उन परिस्थितियों में लिया गया था जो बिहार सरकार के दिनांक 17 अक्टूबर 1946 के निम्नलिखित संकल्प से स्पष्टतः प्रकट होती हैं:—

"चूँकि मौलवी ए. अली खान, जिन्हें प्रथम विशेष अधिकरण, कलकत्ता द्वारा भा.दं.वि. की धारा 120-B को धारा 420 के साथ पठित करते हुए दोषसिद्ध किया गया तथा चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में पटना उच्च

न्यायालय ने बनाए रखा, ने प्रांतीय सरकार के समक्ष एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के समक्ष अपील दायर करने में समर्थ होने के उद्देश्य से उनके दंड के निलंबन की प्रार्थना की गई है।

और चूँकि प्रांतीय सरकार ने आवेदक की प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार कर ली है जो आगे विनिर्दिष्ट की गई है और जिसे आवेदक ने स्वीकार किया है:

अतः, बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश देते हैं कि मौलवी ए. अली खान के उपर्युक्त दंडादेश के निष्पादन को प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के समक्ष प्रस्तावित अपील की सुनवाई लंबित रहने तक निलंबित रखा जाए, इस शर्त पर कि वे जमशेदपुर के उप-प्रभागीय अधिकारी अथवा सिंहभूम के उपायुक्त की संतुष्टि के लिए दो जमानतदारों सहित, जिनमें से प्रत्येक रु. 25,000 का हो, रु. 50,000 की प्रतिभूति प्रस्तुत करें तथा यह वचन दें — (1) कि वे 1 दिसंबर 1946 तक अपील दायर किए जाने हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और (2) कि यदि उक्त आदेश या निर्णय द्वारा दंड को अंशतः अथवा पूर्णतः बनाए रखा जाता है तो वे न्यायिक समिति के आदेश या निर्णय की सूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर सिंहभूम के उपायुक्त के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। यदि आवेदक अभिरक्षा में हों तो उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति करने पर उन्हें रिहा किया जा सकता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(ह.) टी.जी.एन. अय्यर,

सरकार के सचिव।"

उस संकल्प के अनुपालन में उत्तरदाताओं से विचाराधीन जमानत बंधपत्र लिया गया। बंधपत्र (प्रदर्श 2) का सारवान भाग निम्नलिखित शब्दों में है:

"हम, एस.टी. करीम, पुत्र अब्दुल वहाब, जाति मोहम्मडन, पेशे से जमशेदपुर के ठेकेदार एवं स्टार टॉकीज, जमशेदपुर के स्वामी, निवासी सकची, थाना सकची, नगर जमशेदपुर, जिला सिंहभूम, (2) मानिक होमी, पुत्र स्वर्गीय होमी इंजीनियर, जाति पारसी, पेशे से मांगो के जमींदार, निवासी मांगो, थाना सकची, जिला सिंहभूम,

प्रत्येक रु. 25,000 की राशि के लिए जमानत देते हैं तथा बिहार सरकार के प्रति स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं उत्तरवर्तियों को इस शर्त पर रु. 50,000 के भुगतान के लिए दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं कि श्री अली खान 1 दिसंबर 1946 तक अपील दायर किए जाने हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाने का प्रमाण प्रस्तुत करने में और न्यायिक समिति के आदेश या निर्णय की सूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर सिंहभूम के उपायुक्त के समक्ष आत्मसमर्पण करने में विफल रहें यदि उक्त आदेश या निर्णय द्वारा दंड को अंशतः अथवा पूर्णतः बनाए रखा जाता है।"

यह दिनांक 19 अक्टूबर 1946 का है। संवैधानिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उत्सादन अधिनियम (संविधान सभा अधिनियम V / 1949) के माध्यम से प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय को अंतरित हो गया, जो 10 अक्टूबर 1949 को प्रवृत्त हुआ। उस तारीख ("नियत दिन") से धारा 6 के बल पर प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के समक्ष लंबित समस्त अपीलें संघीय न्यायालय को अंतरित हो गईं। इस प्रकार प्रिवी काउंसिल में अली खान की अपील संघीय न्यायालय को अंतरित हो गई और यथासमय इस न्यायालय द्वारा सुनी गई। इस न्यायालय ने नवंबर 1950 में अपील खारिज कर दी। इसी बीच अली खान, दोषसिद्ध व्यक्ति, जो अपनी अपील की देखभाल के लिए लंदन गए थे, पाकिस्तान चले गए और इस प्रकार स्वयं को भारत के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से परे कर लिया। दिसंबर 1950 में सिंहभूम के उपायुक्त ने जमानतदारों, उत्तरदाताओं, को तीन दिनों के भीतर अली खान को प्रस्तुत

करने की सूचना जारी की। उनके ऐसा करने में विफल रहने पर उपायुक्त ने जमानतदारों को यह कारण बताने के लिए कहा कि उनका बंधपत्र जब्त क्यों न किया जाए। जमानतदारों ने उपायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही के विरुद्ध कुछ विधिक आपत्तियाँ उठाईं। उन्होंने तर्क दिया कि उपायुक्त को कार्यवाही प्रारंभ करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। उपायुक्त ने प्रारंभिक आपत्तियों पर निर्णय स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि विवाद के सभी बिंदुओं को अंतिम सुनवाई पर सुना और निर्धारित किया जाए। उस आदेश के विरुद्ध उत्तरदाताओं ने सिंहभूम के सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया, जिन्होंने दिनांक 12 नवंबर 1951 के अपने आदेशों द्वारा उनकी आपत्तियाँ नामंजूर कर दीं और अभिधारित किया कि उपायुक्त को कार्यवाही प्रारंभ करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। उनके कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। उत्तरदाताओं ने सत्र न्यायाधीश के उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आवेदन स्वीकार करते हुए अभिधारित किया कि उपायुक्त को उनके विरुद्ध जमानत बंधपत्र की शर्तें प्रवर्तित कराने के मामले में वैसा क्षेत्राधिकार नहीं था जैसा वे प्रयोग करने का दावा कर रहे थे। तदनुसार उच्च न्यायालय ने उपायुक्त के समक्ष कार्यवाही को निरस्त कर दिया। अतः बिहार राज्य की यह अपील है।

उपर्युक्त उद्धृत जमानत बंधपत्र की शर्तों से यह प्रतीत होता है कि जमानतदारों ने रु. 50,000 के भुगतान के लिए इस शर्त पर स्वयं को आबद्ध किया था कि "केवल उस दशा में जब श्री अली खान ... सिंहभूम के उपायुक्त के समक्ष न्यायिक समिति के आदेश या निर्णय की सूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहें, यदि उक्त आदेश या निर्णय द्वारा दंड को अंशतः अथवा पूर्णतः बनाए रखा जाता है।" बंधपत्र में इस स्पष्ट उपबंध के दृष्टिगत, जिसकी शर्तें दांडिक प्रकृति की होने से अत्यंत कठोरता से निर्वाचित की जानी चाहिए, यह नहीं कहा जा सकता कि पक्षकारों द्वारा परिकल्पित आकस्मिकताएँ घटित हुईं। न्यायिक

समिति का ऐसा कोई निर्णय या आदेश नहीं था जिसने अली खान के विरुद्ध दंड को अंशतः अथवा पूर्णतः बनाए रखा हो। चूँकि इस प्रकार निर्वाचित बंधपत्र की शर्तें पूर्ण हुई नहीं कही जा सकतीं, इसलिए अधिरोपित शास्ति उद्भूत नहीं हुई। अतः यह अभिधारित किया जाना चाहिए कि उत्तरदाताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण थी। इन्हीं परिस्थितियों में हमने यह आवश्यक नहीं समझा कि अपील को उसके गुण-दोष पर, अर्थात् उस क्षेत्राधिकार के बिंदु पर सुना जाए जिस पर उच्च न्यायालय ने मामले का निर्णय किया था।

बिहार के महाधिवक्ता द्वारा, जो अपील के समर्थन में उपस्थित हुए, यह तर्क दिया गया कि जो घटनाएँ घटित हुईं उनमें न्यायिक समिति का कोई निर्णय या आदेश हो ही नहीं सकता था और इसलिए इस न्यायालय का निर्णय, जो संवैधानिक परिवर्तनों के कारण प्रिवी काउंसिल में निहित क्षेत्राधिकार द्वारा प्रदत्त था, उस निर्णय या आदेश के समतुल्य माना जाना चाहिए जिसकी परिकल्पना जमानत बंधपत्र के पक्षकारों द्वारा की गई थी। हमारे मत में इस तर्क में कोई सार नहीं है, प्रथमतः इसलिए कि बंधपत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसका आशय यह हो कि जमानतदार किसी ऐसे अन्य न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से आबद्ध होंगे जो भारत में न्यायालयों द्वारा की गई अली खान की दोषसिद्धि के विरुद्ध उनके द्वारा दायर अपील को सुनने हेतु प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में उस समय निहित क्षेत्राधिकार का उत्तराधिकारी हो; और द्वितीयतः इसलिए कि जमानत बंधपत्र के दांडिक खंड का निर्वचन करते समय अपीलकर्ता की ओर से सुझाई गई विधिक कल्पना के अनुप्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार अपने विधिक परामर्शदाताओं के माध्यम से इतनी सतर्क नहीं रही कि ऐसा कोई वैकल्पिक खंड सम्मिलित करती जो इस न्यायालय के निर्णय या आदेश को वही प्रभाव देता जो उपर्युक्त जमानत बंधपत्र की शर्तों द्वारा परिकल्पित है।

अतः अपील *प्रारंभिक स्तर पर ही* खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।